सं0सं0–01 / दि0स0नि0(यो0)–21 / 2025– 5329 10.7.2025

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

–:: संकल्प ::–

विषयः– **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों, जिन्हें राज्य सरकार के सदृश्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग देय नही है, को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू0 50,000/– (पचास हजार) एवं रू0 1,00,000/– (एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति।**

राज्य के दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना 'सम्बल' संचालित की गयी है। इस क्रम में विदित है कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों एवं सभी वर्गो की महिला अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। परन्तु राज्य के पिछड़ा वर्ग (**BC**), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**) एवं सामान्य वर्ग के मेधावी दिव्यांग पुरूष अभ्यर्थियों को इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।

2. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग (**BC**), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**) एवं सामान्य वर्ग के मेधावी दिव्यांग पुरूषों को सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू0 50,000/– (पचास हजार) एवं रू0 1,00,000/– (एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं इसके निमित दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के अनुमानित 350 पुरूष दिव्यांग लाभुकों हेतु कुल रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़) व्यय किया जाना अनुमानित है। भविष्य में इस संबंध में कोई संख्यात्मक अधिसीमा नहीं होगी तथा इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों के माँग के आलोक में योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

4. इस योजना के लाभार्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होना तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी और राज्य सरकार के सदृश्य योजना के पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। किसी भी पात्र लाभार्थी को एक बार ही इस योजना का लाभ देय होगा।

5. दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत प्रस्तावित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष–0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विपत्र कोड 51–2235021010119 अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से विकलनीय होगा तथा संगत शीर्ष में आवश्यकतानुसार राशि का प्रावधान अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जा सकेगा।

6. दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन एवं लाभुकों के पात्रता हेतु मार्गदर्शिका अलग से निर्गत की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर संचिका सं0–01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025 के टिप्पणी पृ0–18/टि0 पर दिनांक–08.07.2025 को मद संख्या–40 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

8 यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/7/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**– 5329 पटना, दिनांक– 10.7.2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/7/2025
सचिव।

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**– 5329 पटना, दिनांक– 10.7.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/2025
सचिव

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**– 5329 पटना, दिनांक– 10.7.2025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/7/2025
सचिव

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**–5329 पटना, दिनांक– 10.7.2025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

9/7/2025
सचिव

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**–5329 पटना, दिनांक–10.7.2025

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/7/2025
सचिव